



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं० एस०/१/२०११/एसटीजीजेएच/एसईसीसी/आर.सू. ३

छठी मंजिल 'बी' विंग, लोकनाटक भवन
खान गार्केट, नई दिल्ली-११०००३
6th Floor 'B' Wing, Lok Natak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

प्रति,

श्री सुनील कुमार
उपाध्यक्ष,
मिना-बिकाश
झारखण्ड

दिनांक: 10-01-2014

सम्बन्ध श्री रमित रातेन्द्र पुत्र श्री रातेन्द्र सिंह, बूढी रोड, रांची द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में श्री अशोक सिन्हा, बक्सरी कम्पाउंड, बरियातु, रांची से प्राप्त शिकायत बाबत।

संदर्भ

उपरोक्त प्रमाणपत्र आयोग के अध्यक्ष के पत्र दिनांक 10.12.2013 का सदने चरण कर। आयोग के माननीय सदस्य श्री मरु हाल मीना ने प्रकरण पर चर्चा के लिए आपके साथ दिनांक 08.01.2014 को 12.00 बजे व्यक्तिगत तौर पर चर्चा विचार की थी। आपके कार्यालय के पत्र संख्या सं०सं०- VI-10-2013 का क्र० दिनांक 02.01.2014 में आपने दिनांक 08.01.2014 में व्यक्तिगत उपस्थिति में मुझे हजेरत का अनुग्रह किया। आयोग के माननीय सदस्य श्री मरु हाल मीना विषय की गंभीरता को देखते हुए दिनांक 11.02.2014 को 11.30 बजे (पूर्वाह्न) आपके साथ व्यक्तिगत तौर पर भासक पर चर्चा की है।

भासक अनुग्रह किया जाता है एक उचित तिथि को आयोग के माननीय सदस्य के समक्ष उपस्थित तौर पर उपस्थित हजेरत का कष्ट करे।

(एस.पी.मिना)

सहायक निदेशक

प्रतिनिधि:

1. उपाध्यक्ष, मिना-बिकाश, झारखण्ड का सूचनार्थ।

2. अनुसूचित अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्षेत्रीय कार्यालय 14, न्यू ए.वा. का-ऑपरेशन कालोनी, कलकत्ता, रांची (झारखण्ड) का आवश्यक एवं अनुवर्ती कार्यवाई हेतु।

3. श्री अशोक सिन्हा, बक्सरी कम्पाउंड, बरियातु, रांची का कृपया उचित तिथि पर आयोग में उपस्थित हजेरत का जिए।

(एस.पी.मिना)

सहायक निदेशक